Subhash Sharma @ Subhash Chander *v.* State of 287
Haryana 85 others (Jawahar Lai Gupta, J)

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति एन. के. सूद के समक्ष

सुभाष शर्मा @सुभाष चंदर- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी नं. 2000 का 14343

20अप्रैल, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-जनहित *याचिका-खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अवैध खनन का आरोप-उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट से पता चलता है कि अवैध और अनधिकृत खनन किया जा रहा है-राज्य द्वारा नियुक्त वित्तीय आयुक्त की रिपोर्ट से पता चलता है कि विचाराधीन क्षेत्र का सीमांकन भी नहीं किया गया था-राज्य सतर्कता ब्यूरो केवल क्षेत्र के कुछ हिस्सों के संबंध में रिपोर्ट दे रहा है और इसके संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है-पूरी तरह से जांच करने की आवश्यकता है-सीबीआई को मामला दर्ज करने और खनिजों के खनन के संबंध में जांच करने का निर्देश* देते *हुए लिखित अनुमति दी गई-खनन विभाग के अधिकारियों ने भी आवंटित क्षेत्र का सीमांकन करने का निर्देश दिया।*

अभिनिर्धारित **किया गया कि, आम तौर पर, यह राज्य का विशेषाधिकार है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों की जांच करे।हालांकि, राज्य में कैबिनेट मंत्री का उच्च पद संभालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।राज्य को इस मामले पर गौर करने के लिए दो अवसर दिए गए।पहले अवसर पर, वित्तीय आयुक्त के पद के एक अधिकारी ने पाया कि विचाराधीन क्षेत्र का सीमांकन भी नहीं किया गया था।इस प्रकार, स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष संभव नहीं थे।दूसरे अवसर पर, रिपोर्ट केवल क्षेत्र के एक हिस्से के संबंध में दी गई थी।इस तथ्य के**

बावजूद कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में विशिष्ट खसरा संख्या का उल्लेख किया गया था, इसके संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।इन सब से भी अधिक, हमारा विचार है कि जाँच से जनता के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए।रिपोर्ट संदेह से परे होनी चाहिए।इस प्रकार, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाएगी।

(पैरा 23)

आई. के. मेहता *वरिष्ठ अधिवक्ता*, सुश्री रंजीत मेहता, संदीप वर्मानी, एम. एस. कोहली और एस. सी. महना के *साथ, याचिकाकर्ता के वकील*

सूर्यकांत, महाधिवक्ता, हरियाणा (सुश्री पालिका मोंगा, अतिरिक्त महाधिवक्ता,हरियाणा उनके साथ)।

प्रत्यर्थी संख्या 6 एवं 7 के *लिए सुश्री दीपाली पुरी, अधिवक्ता*

पी. एस. पटवालिया, *प्रतिवादी संख्या 8 के लिए अधिवक्ता*

अरुण जैन, प्रतिवादी *संख्या 9 के लिए अधिवक्ता*

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक रूप से)

(1) याचिकाकर्ता एक पत्रकार ने इस अदालत में यह आरोप लगाया है कि "राष्ट्रीय धन के रक्षकों ने शिकारियों के साथ हाथ मिलाया है और खनिजों की लूट बेरोकटोक चल रही है।"उनके अनुसार, आठवें प्रतिवादी हरियाणा राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं । वह जिला फरीदाबाद से ताल्लुक रखता है और "खनन राजा के रूप में जाना जाता है और खनन माफिया को नियंत्रित करता है । "खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि के अधिकारियों के साथ मिलकर, वह पूरे जिले फरीदाबाद में लगातार अवैध खनन में लिप्त है और विशेष रूप से उस क्षेत्र में जिसे 'इश्क मंडी' के रूप में

जाना जाता है जिसमें गाँव अनंगपुर का खसरा नंबर 46 और गाँव अंखिर का खसरा नंबर 15 शामिल है।वह आगे आरोप लगाता है कि यह क्षेत्र सिलिका रेत से समृद्ध है।उत्तरदाता संख्या 8 ने 20 से अधिक मिनी क्रशर स्थापित किए हैं।उनके पास **के. टी. सी.** के नाम से ट्रकों के बेड़े के अलावा उत्खनन यंत्र, डंपर, मोटर ट्रैक्टर और ड्रिलिंग मशीनें हैं। उक्त मशीनें दिन-रात संचालित की जा रही हैं।चूर्णित रूप में खनिजों को डंपर में लादा जाता है और दूर ले जाया जाता है।

> इनमें से कुछ को उनके क्रशर मोहन माइन्स (पी) लिमिटेड और मीरा स्टोन्स में भी ले जाया जाता है।इस निवेदन का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत की हैं जो कथित रूप से 13 अक्टूबर, 2000 को ली गई थीं।उन्होंने कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है जो उनके आरोपों के समर्थन में प्रेस में प्रकाशित हुई थीं।आरोप है कि "खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है"।वह आगे आरोप लगाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 9 प्रत्यर्थी संख्या 8 का करीबी सहयोगी है।9वें प्रतिवादी के पास बदखल की खदान है।दोनों प्रतिवादीगण "एक दूसरे के साथ अवैध रूप से खनन, भंडारण और खनिजों को ढेर कर रहे हैं जो अवैध रूप से निकाले गए हैं और राज्य को रॉयल्टी और कर के भुगतान के बिना लूट को साझा कर रहे हैं"।

इन परिसरों में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी-अधिकारियों को अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देते हुए अनिवार्य प्रकृति का एक रिट जारी किया जाए।वह यह भी प्रार्थना करता है कि ऐसी अन्य कार्रवाई की जाए जो मामले के दायरे में उचित समझी जाए।

(2) यह याचिका इस न्यायालय की पीठ की प्रारंभिक सुनवाई के लिए पोस्ट की गई थी, जिसमें हम में से एक (जवाहर लाई गुप्ता, जे,) 19 अक्टूबर, 2000 को सदस्य थे।याचिकाकर्ता के वकील श्री आर. एस. बैंस के अनुरोध पर, इस न्यायालय के एक अधिवक्ता को स्थल का दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।मामले को 2 नवंबर, 2000 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव का नोटिस 16 नवंबर, 2000 के लिए जारी किया जाएगा।

(3) नोटिस के जवाब में, कुछ प्रतिवादीगण की ओर से अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।प्रतिवादी संख्या 1,3,4 और 5 की ओर से श्री एस. एन. रॉय, निदेशक, खान और भूविज्ञान, हरियाणा द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था।प्रतिवादीगण संख्या 6, माइन्स सेफ्टी के निदेशक, गाजियाबाद क्षेत्र ने भी जवाब दाखिल किया।प्रतिवादी संख्या 7,8 और 9 द्वारा भी लिखित बयान दायर किए गए हैं।याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे का खंडन किया गया है।

(4) स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को शुरू में सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।8 दिसंबर, 2000 को हरियाणा के महाधिवक्ता ने पीठ से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था ताकि राज्य और उसके अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी को स्थल का दौरा करने, जांच करने और तथ्यात्मक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।मामले को 12 जनवरी, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।इसके बाद, वकील के अनुरोध पर इसे फिर से स्थगित कर दिया गया।31 जनवरी, 2001 को महाधिवक्ता ने हरियाणा के वित्तीय आयुक्त श्री बी. डी. ढालिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट हमारे सामने पेश की थी।रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया गया।साथ ही, यह निर्देश दिया गया कि स्थानीय आयुक्त श्री आर. एस. बैंस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जो एक सीलबंद लिफाफे में थी, को खोला जाए और उसकी प्रतियां पक्षकारों के वकील को प्रदान की जाएं।

(5) 15 मार्च, 2001 को हरियाणा के महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष कहा कि राज्य सरकार ने श्री *बैंस द्वारा* प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया है।इसने राज्य सतर्कता ब्यूरो को जांच दर्ज करने और जांच करने के लिए कहा था।महाधिवक्ता को सरकारी फाइल पेश करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को 16 मार्च, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।उस दिन फाइल पेश की गई थी।यह बताया गया कि मुख्यमंत्री ने किसी वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी के माध्यम से सतर्कता जांच कराने के लिए विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल, आई. पी. एस. को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था।मामले को 4 अप्रैल, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि श्री अग्रवाल 10 दिनों के भीतर जांच पूरी कर सकें और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।यह रिपोर्ट 4 अप्रैल, 2001 को अदालत के समक्ष पेश की गई थी।इसे रिकॉर्ड में लिया गया था।पक्षकारों के वकील को प्रतियां दी गईं।बहस के लिए मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया गया।

(6) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील श्री आई. के. मेहता का तर्क है कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है।इस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति की चोरी की गई है।चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 8 हरियाणा राज्य में एक मंत्री है, इसलिए यह उचित होगा कि एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करे और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।उन्होंने आगे कहा कि राज्य और उसके उपकरणों को अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और चूक करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(8) श्री सूर्यकांत, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा बहुत निष्पक्षता से कहते हैं कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अच्छा आधार बनाया गया है।राज्य को मामला दर्ज करने और इसकी जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(9) श्री पी. एस. पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 8 ने कोई अवैध खनन नहीं किया है।यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित किसी भी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि जांच केवल प्रत्यर्थी संख्या 8 या 9 के खिलाफ निर्देशित नहीं की जानी चाहिए, बल्कि यह व्यापक आधार पर होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो खनन कार्यों में अवैधता कर रहा है, कानून की प्रक्रिया के अधीन हो।वह यह भी प्रस्तुत करता है कि जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता का संबंध है, उसने वास्तव में बाहरी विचारों के कारण इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।पक्षों के बीच मुकदमा पहले से ही लंबित है।आठवें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू कर दी है।वर्तमान याचिका 8वें प्रतिवादी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के लिए एक जवाबी विस्फोट है।

(10) श्री अरुण जैन ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का आरोप कि प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 8 के साथ मिलीभगत से काम कर रहा है, गलत है।वास्तव में, पक्षकारों के बीच मुकदमा लंबित है।इस प्रकार, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं।वह आगे प्रस्तुत करता है कि 9वें प्रतिवादी के पास केवल बड़कल में खनन पट्टा है।खनन कार्य उस क्षेत्र तक सीमित है जिसके लिए वर्ष 1994 में एक वैध पट्टा दिया गया था।

(11) विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है वह है-क्या मामला दर्ज करने और इसकी जांच के लिए कोई आधार हैं?

(12) पक्षों द्वारा किए गए कथनों को एक तरफ रखते हुए, स्थानीय आयुक्त श्री आर. एस. बैंस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संदर्भ उपयोगी होगा।रिपोर्ट काफी व्यापक प्रतीत होती है।यह क्षेत्र का दौरा करने के बाद तैयार किया गया था।स्थानीय आयुक्त ने एक स्थल योजना तैयार की जिसे अनुलग्नक-I के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने तस्वीरें भी लीं।रिपोर्ट के साथ 86 तस्वीरें तैयार की गई हैं।ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन्होंने मौके पर पूछताछ की।रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पहला दिन खनन क्षेत्र में घूमने और साक्ष्य एकत्र करने में बिताया था।दूसरा दिन "स्थल योजना पर स्थान स्थापित करने के लिए दस्तावेज एकत्र करने में बिताया गया" सत्यापन के लिए एक और यात्रा की गई थी।उन्होंने यह भी देखा कि "पहले दिन बाधाएं पैदा की गईं क्योंकि टीम इधर-उधर घूम रही थी।दूसरे दिन विशाल सड़क अवरोध बनाए गए जिनसे पैदल गुजरने के अलावा गुजरना संभव नहीं था।संक्षेप में, उन्होंने पाया कि "अवैध खनन चल रहा है"।विशेष रूप से, उन्होंने पाया कि "यह क्षेत्र गाँव अनंगपुर की राजस्व सीमा के भीतर खसरा संख्या 35,36,37,43,44,45,46,47,48,49,50 और 55 से बना है" वे कहते हैं कि इस क्षेत्र को इशाक मंडी के रूप में जाना जाता है।रिपोर्ट के साथ संलग्न योजना में इसे लाल रंग में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि “तीन खसरा नं. ग्राम अनखीर के 14, 15 और 16 भी उस क्षेत्र का हिस्सा हैं जहां अवैध और अनधिकृत खनन चल रहा है । यह साइट प्लान पर मरून रंग में दिखाया गया है।उन्होंने आगे पाया कि "यह वह स्थान है जहाँ प्रतिवादी संख्या 8 और संख्या 8 द्वारा अनधिकृत और अवैध खनन किया जा रहा है। 9 और एक ऐसे पैमाने पर जिसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, सिवाय इसके कि प्रत्येक पाँच ट्रकों में से जिन पर हमने देखा कि उनमें से चार पर केटीसी प्रमुखता से लिखा हुआ है।गाँव अनंगपुर के स्थानीय लोगों के अनुसार, के. टी. सी. उस क्षेत्र में संचालन के लिए लाइसेंस है और कोई भी प्राधिकरण इस जादुई संकेत के साथ ट्रक की जाँच नहीं करता है।श्री बैन्स ने देखा है कि के. टी. सी. का अर्थ कर्तार ट्रांसपोर्ट कंपनी है। श्री पटवालिया इसका विरोध करते हैं।स्थानीय आयुक्त को स्पष्ट रूप से निम्नानुसार पाया गयाः–

> “निम्नलिखित मशीनों का उपयोग खनन की प्रक्रिया में किया जाता है और हमें प्रतिवादी संख्या 8 के अवैध खनन के तहत क्षेत्र में देखा गया था।
>
> **उत्खननकर्ताः** इसका उपयोग खदानों से खनिजों को काटने, खोदने और लोड करने के लिए किया जाता है।पीएच-38 और 39
>
> **लोडरः** वे मशीनें जो सिलिका रेत भंडारण बिंदु से ट्रकों/डंपरों तक सिलिका

रेत को लोड करती हैं।पीएच-40 और पीएच-77।

टायराक्स 30 टन क्षमताः वह मशीन जो निकाले गए खनिजों को खनन क्षेत्र से सतह के स्तर पर भंडारण बिंदु तक पहुँचाती है।यहाँ से खनिजों को लोडरों द्वारा ट्रकों और डंपरों में लादा जाता है और प्रमुख स्टॉक और बिक्री स्थलों तक पहुँचाया जाता है।पीएच-79।

ड्रिलिंग मशीनः मशीन जो कठोर चट्टानों में छेद करती है जिसमें विस्फोटक सामग्री को फिर भरा जाता है और चट्टान सामग्री को ढीला करने के लिए विस्फोट किया जाता है।

वैक्यूम मशीनः मशीन जो ड्रिलिंग मशीन का एक अविभाज्य हिस्सा है और ड्रिलिंग मशीन को अपना कार्य करने में मदद करती है।पीएच-36

वोल्वो 12 टायर 40 टन क्षमताः यह बड़ी मशीन परिवहन के लिए 30 से 40 टन तक खदान सामग्री ले जा सकती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रात में खदान सामग्री के त्वरित परिवहन के लिए किया जाता है।पीएच-80।

> **डम्पर 5/6 टन क्षमताः** यह मशीन परिवहन के लिए 5 से 6 टन तक खदान सामग्री ले जा सकती है।पी. एच-81.
>
> **टिपर की क्षमता 5/6 टनः** वह मशीन जो निकाले गए खनिजों को खनन क्षेत्र से सतह के स्तर पर भंडारण बिंदु तक पहुँचाती है।यहाँ से खनिजों को लोडरों द्वारा ट्रकों और डंपरों में लादा जाता है और प्रमुख स्टॉक और बिक्री स्थलों तक पहुँचाया जाता है।Ph-30 और Ph-31 "।

उन्होंने निम्नलिखित पैराग्राफ 20 और 21 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया :-

"मैं अनंगपुर गाँव भी गया ताकि यह पुष्टि कर सकूं कि क्या मजदूरों और कामकाजी लोगों द्वारा दी गई जानकारी सही थी क्योंकि उनमें से कुछ के अलावा किसी ने भी अपना नाम नहीं दिया था।वे स्पष्ट रूप से डर गए थे।कुछ स्थानीय ग्रामीण अपना नाम बताने और निरीक्षण के दौरान देखे गए तथ्यों की पुष्टि करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने स्थल योजना पर अवैध खनन स्थलों की भी पहचान की।उनके नाम हैं तुला राम पुत्र वेद सिंह, श्री चंद पुत्र चौधरी मवासी राम, अमृत सिंह पुत्र चौधरी लखपत

सिंह, पूर्व सरपंच, करण सिंह पुत्र चौधरी बल्लेराम और अजयपाल पुत्र अमृत सिंह, सभी गांव अनंगपुर के निवासी हैं।उपरोक्त नामों के अनुसार व्यक्तियों को सिलिका रेत का प्रत्येक ट्रक दिल्ली के बाजार में 4,000 से 5,000 रुपये रुपये के बीच की दर पर बेचा जाता है। । उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा राज्य को कोई रॉयल्टी या कर का भुगतान किए बिना हर दिन के. टी. सी. के कम से कम 300 ट्रकों को इशाक मंडी खनन क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है।अकेले इस अवैध गतिविधि से उनका दैनिक कारोबार 4000 x 300 यानी 12 लाख रुपये है।

सरकार को रॉयल्टी और करों का नुकसान होता है।लोगों को जो नुकसान हो रहा है, वह क्षेत्र की पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जल स्तर है।कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यह है कि हालांकि अनंगपुर गाँव के अधिकांश क्षेत्र को खनन के लिए विभिन्न समूहों/कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है, फिर भी गाँव के सबसे अच्छे खनन क्षेत्र के लिए कोई पट्टा नहीं दिया गया है।इसे प्रत्यर्थी संख्या 8, कर्तार सिंह और उनके जैसे अन्य लोगों के लिए गाँव के प्राकृतिक संसाधनों के मुफ्त दोहन के लिए, ग्राम समुदाय, राज्य सरकार को किसी भी लाभ के बिना, या यहाँ तक कि कार्यबल के लिए किसी भी सुरक्षा के बिना आरक्षित रखा जाता है क्योंकि कोई कानून प्रवर्तन दिखाई नहीं देता है और न ही इसे लागू किया जाता है।इन अनधिकृत खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि जो भी थोड़ा कानून प्रवर्तन अधिकृत खनन कार्य बल के लिए है और दूसरों के लिए नहीं है।क्षेत्र का नाम प्रतीकात्मक है।यह वास्तव में उन लोगों के लिए इशाक मंडी है जो मजबूत, साहसी और कानूनविहीन हैं।

(13) हम केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि रिपोर्ट संपूर्ण और व्यापक है।ये तस्वीरें भारी मशीनरी और विस्फोटकों आदि की मदद से बड़े पैमाने पर अभियानों का संकेत देती हैं।

(14) यह रिपोर्ट, हालांकि खुलासा करती है, रिकॉर्ड पर सबूत का एकमात्र टुकड़ा नहीं है।हरियाणा राज्य ने श्री बी. डी. ढालिया को जाँच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था।यह रिपोर्ट मार्क 'ए' (पृष्ठ 149 से 152) के रूप में दर्ज है।उन्होंने लिखा है कि "श्री बीर सिंह तहसीलदार, फरीदाबाद ने सूचित किया कि उन्होंने अनंगपुर के

(इस प्रकार से) अंखिर के खसरा संख्या 15 और खसरा संख्या 46 का पता लगाने में तीन दिन बिताए, जो भाटी के त्रिकोणीय संयोजन (सेहदा) और बधकल के लिंक (देहजा) (दिल्ली और हरियाणा राज्यों के बीच दीवार का कोना) से मापा जाता है, लेकिन क्षेत्र संक्षिप्त नहीं है।उनके अनुसार सीमांकन अंखिर और बधकल के मुस्तातिल पत्थर से माप करने के बाद ही संतोषजनक रूप से किया जा सकता है, जिसमें कम से कम 25 दिन लगेंगे (मूल रूप से तहसीलदार, फरीदाबाद की रिपोर्ट और इसके अंग्रेजी अनुवाद पर 'सी' चिह्नित है)।

(15) उपरोक्त कहने के बाद, उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज कियाः–

> "उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि यह मुद्दा जमीन पर अंखिर के खसरा संख्या 15 और अनंगपुर के खसरा संख्या 46 के सीमांकन तक सीमित हो जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता उस भूमि पर आरोप लगाता है जहाँ श्री. राम किशन वर्तमान में अखिर के खसरा नंबर 15 और अनंगपुर के 46 पर काम कर रहे हैं, जबकि राम किशन का कहना है कि उनका गड्ढा बड़कल की राजस्व संपत्ति के खसरा नंबर 1,2 और 3 में पड़ता है।राजस्व अधिकारियों द्वारा सटीक सीमांकन किए जाने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।चूंकि मुझे अगली सुनवाई की तारीख से पहले यानी 12 जनवरी, 2001 से पहले रिपोर्ट देने की आवश्यकता है, इसलिए अनुशंसा की जाती है कि फरीदाबाद के उपायुक्त को निर्देश जारी किए जाएं कि वे तुरंत जमीन पर अंखिर के खसरा संख्या 15 और अनंगपुर के 46 का सीमांकन करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रतिवादी संख्या 9 अपनी पट्टे पर दी गई जमीन में काम कर रहा है या उसने क्रमशः अंखिर और अनंगपुर के खसरा 15 और 46 के खाली क्षेत्र में विस्तार किया है।यदि सीमांकन से पता चलता है कि मैसर्स राम किशन पुमी देवी अपनी पट्टे पर दी गई भूमि में काम कर रही हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अन्यथा उनके खिलाफ खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (5) के तहत निदेशक, खान और भूविज्ञान द्वारा 23 अक्टूबर, 2000 को जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में कार्रवाई की जा सकती है, जिसे सहायक खनन अभियंता, फरीदाबाद की 19 सितंबर, 2000 की रिपोर्ट पर पट्टा विलेख के खंड 2 भाग IX के साथ पढ़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा सीमा स्तंभ का निर्माण न करने की शिकायत की थी।याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 'डी' चिह्नित उत्पादन आंकड़ों के विवरण

के संबंध में यह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि सबसे पहले जुलाई, 1999 के अंत में सरकार में बदलाव हुआ था और नवंबर, 1999 में नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा था, दूसरा खनिज का उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर उतार-चढ़ाव करता रहता है।जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 8 का संबंध है, मुझे प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा किए जा रहे खनन कार्यों से उसे जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।उनके खिलाफ लगाए गए आरोप केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हैं।

(16) संक्षेप में, अधिकारी का विचार था कि प्रत्यर्थी संख्या 9 ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया था और उसे प्रत्यर्थी संख्या 8 को प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा किए जा रहे कार्यों से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

(17) फिर हमारे पास श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव की रिपोर्ट है ।इस रिपोर्ट में कोई तारीख नहीं है, लेकिन इसे 4 अप्रैल, 2001 को अदालत में पेश किया गया था।श्री अग्रवाल ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किएः–

> “23 मार्च, 2001 के प्राप्त विवरणों और अभिलेखों और स्थल निरीक्षण के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि खनन और राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत 8 मार्च, 2001 की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स राम किशन पूर्णी देवी की उपरोक्त खदान बड़खल के क्षेत्र में नहीं बल्कि मुस्तातिल संख्या के हिस्से में स्थित है। 15 अंखिर और खसरा सं। अनंगपुर के 46.इस प्रकार, इस सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार इस स्थल पर राम किशन पूर्णिमा देवी द्वारा की गई खनन गतिविधियाँ उस अधिकृत क्षेत्र से परे हैं जिसके लिए उन्हें पट्टा दिया गया है और उन्हें अधिकृत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हालांकि, एस. राम किशन ने अपने बयान और अभिलेखों के माध्यम से यह तर्क दिया है कि इस भूमि के सीमांकन में अनियमितताएं हुई हैं और इस संबंध में उनके द्वारा समय-समय पर उठाई गई आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया है।इसके अलावा, अपने बचाव में उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि उन्होंने इस खदान से निकाले गए खनिजों के लिए नियमों के अनुसार सरकार को रॉयल्टी और बिक्री कर का भुगतान किया है।हालांकि, समय की कमी के कारण यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि क्या राम किशन पूर्णिमा देवी द्वारा भुगतान किया गया रॉयल्टी और बिक्री कर केवल उपरोक्त खदान से खनिजों के उत्पादन से संबंधित है या उनकी अन्य खदानों से

भी।

जब बात अंखीर के खसरा नंबर 15 और आनंगपुर के खसरा नंबर 46 में खदान कार्यों के सवाल की होती है, तो श्री करतार सिंह भड़ाना, हरियाणा सरकार के मंत्री, की प्रोत्साहन या साजिश के साथ कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि खनन विभाग के अधिकारी मंत्री श्री करतार सिंह भड़ाना के किसी भी दबाव से इनकार करते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम किशन ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने इस खदान में खनन कार्य किया था और करतार सिंह भड़ाना का इससे कोई लेना-देना नहीं है।यह सच है कि कर्तार सिंह और राम किशन करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन राम किशन ने अपने बयान में पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट और अपने और कर्तार सिंह भडाना के बीच व्यावसायिक हितों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।इन परिस्थितियों में, दोनों के बीच किसी भी छिपी हुई सांठगांठ, यदि कोई हो, को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

संभवतः, बैंक खातों, टेलीफोनों के विवरण आदि की गहन जांच इस पहलू पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकती है, लेकिन जांच पूरी करने के लिए दी गई अत्यंत कम अवधि के कारण यह संभव नहीं हो सका है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जांच निदेशक द्वारा मुख्य *सचिव,* हरियाणा सतर्कता विभाग सतर्कता को सौंपी गई है- ज्ञापन संख्या 32/10/2001-5 विग (1), दिनांक 12 मार्च, 2001 केवल अनखीर के खसरा संख्या 15 और अनंगपुर के खसरा संख्या 46 में अवैध खनन से संबंधित है और इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई जांच का दायरा केवल सीमित है। हालाँकि जनहित याचिका में अनंगपुर के इश्क मंडी क्षेत्र में भी अवैध खनन के आरोप शामिल हैं।यदि इस पहलू के संबंध में भी कोई जांच की जानी है, तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।

(18) रिपोर्ट में उल्लिखित बाड़ों को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

(19) रिपोर्टों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चल रहे हैं।कौन जिम्मेदार है? डिफ़ॉल्ट कौन कर रहा है? राज्य के राजकोष को कितना नुकसान हुआ है? कितने लोग शामिल हैं? क्या विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कार्य किए जा रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर गहन जांच के बाद ही दिया जा सकता है।इस प्रकार, श्री मेहता द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई याचिका और यहां तक कि महाधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि

मामला दर्ज किया जाना चाहिए, असाधारण है।

(20) अगला सवाल यह उठता है कि जांच किसे करनी चाहिए? श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि 8वें प्रतिवादी के राज्य में मंत्री होने के नाते, मामला किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए।वकील ने आगे बताया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई दो रिपोर्टें 8वें प्रतिवादी के पक्ष में पक्षपात दिखाती हैं।प्रत्यर्थी संख्या 9 के वकील श्री अरुण जैन ने बताया है कि स्थानीय आयुक्त की स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद कि गाँव अनंगपुर की राजस्व सीमा के भीतर खसरा संख्या 35 से 37,43 से 50 और 55 में अवैध खनन चल रहा था, राज्य सतर्कता ब्यूरो ने मामले को देखने की भी परवाह नहीं की थी।इस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए।

(21) दूसरी ओर, हरियाणा के महाधिवक्ता श्री सूर्यकांत ने कहा है कि सतर्कता ब्यूरो ने पहले ही जांच दर्ज कर ली है।राज्य एक औपचारिक मामला दर्ज कराएगा।यह उचित तरीके से जांच की जाएगी।इसके बाद, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो अभियोजन शुरू किया जाएगा।

(22) आम तौर पर, अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अपराधों की जांच करना राज्य का विशेषाधिकार है।हालांकि, वर्तमान मामले में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जो राज्य में कैबिनेट मंत्री का उच्च पद रखता है।राज्य को इस मामले पर गौर करने के लिए दो अवसर दिए गए।पहले अवसर पर, एक वित्तीय आयुक्त के पद के एक अधिकारी ने पाया कि विचाराधीन क्षेत्र का सीमांकन भी नहीं किया गया था।इस प्रकार, स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष संभव नहीं थे।दूसरे अवसर पर, रिपोर्ट केवल क्षेत्र के एक हिस्से के संबंध में दी गई थी।इस तथ्य के बावजूद कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में विशिष्ट खसरा संख्या का उल्लेख किया गया था, इसके संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।इन सब से भी अधिक, हमारा विचार है कि जाँच से जनता के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए।रिपोर्ट संदेह से परे होनी चाहिए।इस प्रकार, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाएगी।

(23) नतीजतन, हम निर्देश देते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो फरीदाबाद जिले में खनिजों के खनन के संबंध में एक मामला दर्ज करेगा और जांच करेगा।ऐसा करते समय, यह अधिकारियों के आचरण की भी जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि वे किसी अपराध के दोषी थे या नहीं।

(24) श्री मेहता ने यह भी तर्क दिया कि जबकि मामले की जांच चल रही है, राज्य और उसके उपकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति की आगे कोई चोरी न हो।

(25) श्री बी. डी. धालिया द्वारा दी गई रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि खनन विभाग सहित राज्य के अधिकारियों ने उस क्षेत्र का सीमांकन भी नहीं किया है जिसके संबंध में विभिन्न व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, श्री धालिया ने 9 जनवरी, 2001 की अपनी रिपोर्ट में पाया है कि गांव अंखिर के खसरा नंबर 15 और गांव अनंगपुर के खसरा नंबर 56 का पता लगाना संभव नहीं था।उचित सीमांकन के बिना राज्य भूमि को पट्टे पर कैसे दे रहा था? खान और भूविज्ञान के निदेशक ने क्षेत्र के उचित सीमांकन के बिना खनन कार्यों की अनुमति कैसे दी?रिकॉर्ड पर कोई जवाब नहीं है।हम यह देखने के लिए विवश महसूस करते हैं कि विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं।उनकी लापरवाही और लापरवाही राज्य के राजकोष के लिए आसानी से महंगी साबित हो सकती थी।इस स्थिति में, हम यह निर्देश देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं कि राज्य में प्रत्येक पट्टेदार को आवंटित क्षेत्र का तुरंत उचित सीमांकन किया जाए।किसी भी मामले में, आवश्यक कार्य आज से तीन महीने के भीतर किया जाएगा।

इसके अलावा, कड़ी निगरानी रखी जाएगी।यदि किसी अवैध खनन का पता चलता है, तो मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।किसी भी मामले में, विभिन्न खदानों के संबंध में स्थिति के बारे में विभाग द्वारा मुख्य सचिव को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जांच केवल प्रतिवादी संख्या 8 या 9 के आचरण तक ही सीमित नहीं होगी।यह सभी पट्टेदारों और विभाग के संबंधित अधिकारियों/अधिकारियों के संचालन में होगा।केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जल्द से जल्द, अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(26) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई लागत नहीं

आर.एन.आर

न्यायमूर्तिजी एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति निर्मल सिंह के समक्ष

आर. एस. *डून,-* ***याचिकाकर्ता***

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और अन्य- उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. 2001 की संख्या 4692/सी

4 अप्रैल 2001

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-धारा 24-भारत *का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारतीय* प्रशासनिक *सेवा में पदोन्नति-यू. पी. एस. सी. चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए-उन्हें चुनौती-न्यायाधिकरण ने बिना कोई कारण बताए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करके चयनित* उम्मीदवारों की *नियुक्तियों पर रोक लगा दी-चाहे वह धारा 24 के जनादेश का उल्लंघन हो-आयोजित, हाँ-एकतरफा* अंतरिम *आदेश पारित करने से* पहले, *न्यायाधिकरण सभी घटकों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जैसे कि अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन और सबसे बढ़कर, सार्वजनिक हित।*

निर्णय, कि तालिका की ओर से 1 जनवरी, 2001 को पास किए गए आदेश को एक सादा पठन करने पर व्यक्त किया जाता है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के पदों को रोकने का आदेश

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

Subhash Sharma @ Subhash Chander *v.* State of 301
Haryana 85 others (Jawahar Lai Gupta, J) (Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा